

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 07/07/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में दिनांक 07/07/2023 को दोपहर 02:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

- A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-
1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामित)
 2. श्री एस के राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
 3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रधान सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)
 4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
 5. श्री दीपक कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
 6. श्रीमती मिनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
- B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप. विकास आयुक्त एनएसईजेड, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड, (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड, (v) सत्य विजय वर्मा, एईई , यूपीपीसीबी, नोएडा और (vi) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-
- D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:
- (1) दिनांक 16/06/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

सुरेंद्र मलिक

दिनांक 16/06/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई सन्दर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 19/06/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) दिव्य क्रिएशन्स - हीरे से जड़ित चांदी के आभूषणों को शामिल करने के लिए दी गई अनुमति का अनुमोदन।

2.1 श्री सुमित गुप्ता, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि वे समय-समय पर मुख्य रूप से स्वीडन को 'हीरे से जड़ित चांदी के आभूषण' निर्यात करते रहे हैं और वे इस संबंध में एनएसईजेड सीमा शुल्क द्वारा जारी व्यापार नोटिस संख्या 01/2003 दिनांक 01.02.2023 के प्रावधानों का भी अनुपालन कर रहे हैं।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "(i) शीर्षक 7102 (71131143) के हीरे जड़ित चांदी के आभूषण और (ii) शीर्षक 7104 (71131144) के हीरे जड़ित चांदी के आभूषण" को एलओए में शामिल करने के लिए 28/06/2023 को दी गई अनुमति की पुष्टि की। यह आंतरिक रूप से तैयार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अधीन होगा।

(3) रॉयलक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश।

3.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रजत बहल और श्री अमित गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री बहल ने बताया कि वे प्रस्तावित उत्पादों को मुख्य रूप से अमेरिका को निर्यात करेंगे। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने प्रस्तावित समावेशन के मद्देनजर प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तु की वार्षिक उत्पादन क्षमता और संशोधित विदेशी वित्तीय स्थिति विवरण, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एलओए में अधिकृत संचालन के रूप में "गोल्फ कार्ट और उसके हिस्सों के लिए लिथियम-आयन बैटरी का विनिर्माण (85076000)" को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तु की वार्षिक उत्पादन क्षमता और संशोधित विदेशी वित्तीय स्थिति विवरण, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करने के अधीन है।

(4) ब्राइडल ज्वेलरी एमएफजी. सीओ - (i) इकाई के नाम और संविधान में परिवर्तन, (ii) एचएस कोड के अद्यतन के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन और (iii) मौजूदा अधिकृत संचालन के आईटीसी (एचएस) कोड में संशोधन।

सुरेंद्र मलिक

I/48581/2023

4.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रियंक गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि उनके बैंक ने कार्यशील पूंजी सीमा बढ़ाने के लिए फर्म को निजी लिमिटेड कंपनी में बदलने के लिए कहा है। उन्होंने आगे बताया कि चूंकि वे जड़े हुए आभूषणों में गैर-कीमती पत्थरों का उपयोग करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लिए सही एचएस कोड 71131915 के बजाय 71131919 होगा।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

- i) अनुमोदन समिति ने फर्म के संविधान और नाम में परिवर्तन के साथ-साथ निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार निदेशक में परिवर्तन 'मेसर्स ब्राइडल ज्वेलरी एमएफजी कंपनी (साझेदारी फर्म)' से "मेसर्स ब्राइडल ज्वेलरी एमएफजी प्राइवेट लिमिटेड (एक निजी लिमिटेड कंपनी)" पर ध्यान दिया।
- ii) अनुमोदन समिति ने आईटीसी (एचएस) कोड के अद्यतनीकरण के लिए दिनांक 16/06/2023 को दी गई अनुमति की पुष्टि की।
- iii) इकाइयों के संचालन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, अनुमोदन समिति ने जड़ित सोने के आभूषणों के लिए आईटीसी (एचएस) कोड 71131915 के साथ-साथ 71131919 को भी शामिल करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन इन दोनों एचएस कोड को शामिल करने के लिए इकाई द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के अधीन है।

(5) पन्ना ज्वैलरी - डीटीए/अन्य एसईजेड इकाई में शेष कच्चे माल की बिक्री के लिए निकास औपचारिकताओं और अनुमति के साथ एसईजेड नियमों के नियम 74(3) के प्रावधानों में छूट के लिए अनुरोध।

5.1 मेसर्स पन्ना ज्वैलर्स के प्रतिनिधि श्री लोकेश जैन और ट्राइडेंट कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि श्री पंकज गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

5.2 यह सूचित किया गया कि 04.10.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णय के अनुसार, वाणिज्य विभाग (DOC) को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19/10/2022 के माध्यम से अपने शेष डीटीए में कच्चा माल अर्थात् कीमती धातुएं/पत्थर आदि को बेचने के लिए नियम 74(3) के प्रावधानों में छूट के अनुरोध पर स्पष्टीकरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। वाणिज्य विभाग (DOC) ने अपने पत्र

सुरेंद्र मलिक

दिनांक 12/06/2023 के माध्यम से डीजीईपी के दिनांक 02/06/2023 के कार्यालय ज्ञापन (OM) की एक प्रति भेजी है जिसमें डीजीईपी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विचार प्रदान किए हैं:

"(ii) एसईजेड नियम 2006 के नियम 48(3) के अनुसार इकाई को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में वापस आपूर्ति करने की अनुमति है, जैसा वह है, या पर्याप्त प्रसंस्करण के बिना: शेष अर्ध-कीमती पत्थरों को इकाई द्वारा डीटीए से खरीदा गया था और शुल्क का भुगतान किया गया है, इसलिए, इकाई को डीटीए में बेचने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(iii) इकाई को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 38 के अनुसार एसईजेड में किसी इकाई को माल स्थानांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है: शेष सोने और चांदी के संबंध में, इकाई को एसईजेड में एक इकाई से इनका निर्माण करने और आभूषणों का निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है।

(iv) विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 46(12) के अनुसार, एक इकाई घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयातित या खरीदे गए सामान सहित माल को दूसरी इकाई में स्थानांतरित कर सकती है। इकाई मौजूदा एसईजेड नियमों के अनुसार माल स्थानांतरित कर सकती है: वैकल्पिक रूप से, इकाई को कच्चे माल को एनएसईजेड में एक इकाई में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है जो अपने खरीदार को आभूषण का निर्माण और निर्यात कर सकती है।

5.3 श्री लोकेश जैन ने बताया कि वे बचे हुए कच्चे माल को एनएसईजेड में अन्य इकाई में स्थानांतरित कर सकते हैं जो अपने खरीदार को आभूषणों का निर्माण और निर्यात कर सकते हैं। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई का एलओए (LOA) केवल 30.06.2023 तक वैध था।

5.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद और डीजीईपी और वाणिज्य विभाग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया:

(a) इकाई को शेष अर्ध-कीमती पत्थरों को शुल्क के भुगतान पर डीटीए को बेचने की अनुमति देना।

(ii) इकाई को एनएसईजेड (NSEZ) में शेष कच्चे माल यानी सोना और चांदी को अन्य रत्न और आभूषण इकाइयों में स्थानांतरित करने की अनुमति देना इस शर्त के अधीन है कि इकाई एसईजेडऑनलाइन (SEZonline) प्रणाली पर संबंधित मॉड्यूल में इस तरह के हस्तांतरण को दर्ज करेगी।

(iii) विशेष रूप से निकास औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एलओए (LOA) की वैधता को 31/08/2023 तक बढ़ाएं, बशर्ते कि इस विस्तारित अवधि के दौरान आयात/डीटीए खरीद के लिए कोई नई अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुरेंद्र मलिक

(6) एक्वेरीज ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड - एनएसईजेड में एक इकाई स्थापित करना।

6.1 इकाई को सूचित किया गया कि कंपनी ने अपने ईमेल दिनांक 07/07/2023 के माध्यम से एनएसईजेड में एक इकाई स्थापित करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है।

6.2 अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और आवेदन को वापस लिया हुआ मानने का निर्णय लिया।

(7) लिस्टर मोसेनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई -II) - एकमुश्त अनुमति का अनुसमर्थन दिनांक 03/03/2023।

7.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 27(7) के तहत सीएफएस पटपड़गंज दिल्ली से आयातित मशीनों और सामग्रियों की शुल्क मुक्त खरीद के लिए आयातित मशीनों और सामग्रियों की शुल्क मुक्त खरीद के लिए मेसर्स लिस्टर मोसेनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई -II) को दिनांक 03/03/2023 दी गई एकमुश्त अनुमति की पुष्टि की।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।



(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त. विकास आयुक्त



(ए बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त